आरबीआइ द्वारा कौन सी रीस्ट्रक्चरिंग योजना प्रमाणित की गयी है?

रीस्ट्रक्चरिंग योजना कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण ग्राहकों पर आये आर्थिक बोझ से राहत के लिये आरबीआइ द्वारा सुझाया गया समाधान है। आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अधीन एबीएफएल ने ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के लोन्स के पुनर्गठन की योजना बनाई है, जो सिर्फ कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक और वित्तीय रूप से प्रभावित हुए हैं।

रीस्ट्रक्चरिंग के लिये कौन योग्य है?

- ऐसे लोग और संगठन रीस्ट्रक्चरिंग के लिये योग्य होंगे, जिन्हें सामान्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन मार्च 1, 2020 तक जो 30 दिनों से ज़्यादा समय तक एबीएफएल के दोषियों की सूची में न रहे हों और अभी तक जिनके सभी लोन खाते सामान्य रहे हों।

- कोविड-19 के कारण ग्राहक की आमदनी में कमी या आमदनी अथवा नकद बहाव रुकने जैसा आर्थिक प्रभाव पड़ा होना चाहिये।

- लोन व्यक्तिगत उपयोग के लिये होना चाहिये।

- रीस्ट्रक्चरिंग की स्वीकृति देने से पहले एबीएफएल कम नकद बहाव और पुनर्निर्धारित ईएमआइ की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करेंगे। ग्राहक के साथ चर्चा, दस्तावेज़ों का मूल्यांकन और ग्राहक के भुगतान का अब तक का ब्यौरा एबीएफएल के रीस्ट्रक्चरिंग के निर्णय को प्रभावित करेगा।

किस प्रकार के लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिये उपयुक्त नहीं हैं?

व्यक्तियों/संगठनों को निम्नलिखित उद्देश्यों से दिये गये लोन

- कृषि उद्देश्य और बैंक द्वारा कृषि ऋण के रूप में वर्गीकृत ऋण
- कृषि क्रेडिट सोसाइटीज़
- वित्तीय सेवा प्रदाता
- केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारी निकाय
- एबीएफएल के कर्मचारी
- हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों को दिये गये ऋण, जिनके कार्यक्रम में पहले ही बदलाव किये जा चुके हैं

व्यावसायिक उपयोग के लिये दिये गये ऋण एमएसएमई दिशानिर्देशों के अधीन राहत की मांग कर सकते हैं, जैसा कि परिच्छेद (कुल ऋण <25 करोड़ के लिये एमएसएमई रीस्ट्रक्चरिंग) में स्पष्ट किया गया है।

कॉर्पोरेट कर्ज़दारों (<25 करोड़) के लिये रीस्ट्रक्चर के दिशानिर्देश संघ स्तर पर जारी किये गये हैं।

मैं अपने लोन के लिये रीस्ट्रक्चरिंग का लाभ कैसे ले सकता हूं?

आप आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ, हमारी कस्टमर सर्विस टीम को निम्नलिखित माध्यमों से लिख सकते हैं:
care.finance@adityabirlacapital.com अगर आपने ऑफ़लाइन पद्धति से लोन का आवेदन किया है।
care.digitalfinance@adityabirlacapital.com अगर आपने ऑनलाइन पद्धति से लोन का आवेदन किया है।

मेरे लिये रीस्ट्रक्चरिंग के कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?

मासिक ईएमआइ कम करने के लिये लोन की बकाया अवधि को अधिकतम 24 महीनों के लिये बढ़ाया जा सकता है।

क्या मुझे रीस्ट्रक्चरिंग का लाभ लेने के लिये कोई दस्तावेज़ जमा करने होंगे?
एबीएफएल आपके रोज़गार या व्यापार की मौजूदा स्थिति की जानकारी देने वाले दस्तावेज़ों की मांग करेंगे। वेतनधारी/स्व-नियुक्त कर्ज़दारों के लिये - बैंक स्टेटमेंट्स, आइटीआर, जीएसटी रिटर्न्स आवश्यक हो सकते हैं। साथ ही, एबीएफएल टीम कुल नकद बहाव की चर्चा करने के लिये आपसे संपर्क करेगी।

क्या रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज चुनने से मेरे क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट पर कोई असर पड़ेगा?
नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, आपकी लोन/क्रेडिट सेवा क्रेडिट ब्यूरो को "रीस्ट्रक्चर्ड" के रूप में रिपोर्ट की जायेगी।

कृपया ध्यान दें कि नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार रीस्ट्रक्चरिंग की सूचना कर्ज़दार के स्तर पर क्रेडिट ब्यूरो को दी जानी चाहिये, इसलिये बैंक के साथ ग्राहक की सभी सेवाओं/लोन्स को "रीस्ट्रक्चर्ड" के रूप में रिपोर्ट किया जायेगा, भले ही ग्राहक ने सिर्फ एक लोन पर रीस्ट्रक्चरिंग की सेवा ली हो।

क्या मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर करने पर कोई प्रोसेसिंग फीस या अन्य शुल्क लागू होंगे?
लोन को रीस्ट्रक्चर करने का फैसला लेने पर एबीएफएल आपसे शुल्क ले सकते हैं।

एबीएफएल के साथ मेरे कई लोन हैं? क्या मुझे इन सभी लोन्स के लिये अलग-अलग आवेदन करना होगा?
यह सेवा सिर्फ एक बार ली जा सकती है, इसलिये आपको सभी सेवाओं की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला एक बार में लेना होगा।

क्या रीस्ट्रक्चरिंग सेवा प्राप्त करने के लिये किसी न्यूनतम बकाया राशि की आवश्यकता होती है?
ऋण की बकाया राशि के रूपांतरण के लिये आवश्यक न्यूनतम बकाया राशि सभी सेवाओं में रु. 25,000 है।

मैं स्व-नियुक्त/एमएसएमई युनिट हूं। क्या मैं राहत पाने के लिये योग्य हूं?
भारत सरकार द्वारा एमएसएमई वर्गीकरण के लिये जारी किये गये संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई श्रेणी के तहत आने वाले स्व-नियुक्त व्यक्ति / संगठन एमएसएमई रीस्ट्रक्चरिंग योजना के अंतर्गत राहत के लिये आवेदन कर सकते हैं। आप निम्नलिखित लिंक पर रेजिस्टर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर या कस्टमर सर्विस टीम (विवरण आगे दिये गये हैं) से संपर्क कर सकते हैं।

उद्यम पोर्टल लिंक: https://udyamregistration.gov.in/Government-of-India/Ministry-of-MSME/online-registration.htm

अगर मैंने मोरेटोरियम की सुविधा ली है/नहीं ली है, तो क्या मैं रीस्ट्रक्चरिंग के लिये आवेदन कर सकता हूं?
रीस्ट्रक्चरिंग की योजना बैंक के सभी ग्राहकों के लिये उपलब्ध होगी, भले ही मोरेटोरियम की स्थिति कोई भी हो, हालांकि रीस्ट्रक्चर करने का फैसला एबीएफएल का स्वतंत्र निर्णय होगा।

क्या सभी कर्ज़दारों/सह-कर्ज़दारों को रीस्ट्रक्चर के लिये आवेदन करना होगा या सिर्फ एक कर्ज़दार रीस्ट्रक्चर के विकल्प के लिये आवेदन कर सकता है?

नियामक और कानूनी आवश्यकता के अनुसार वास्तविक लोन के सभी कर्ज़दारों/सह-कर्ज़दारों को लोन के संशोधित नियमों व शर्तों को स्वीकार करना होगा, जिनमें लोन के मुख्य करारनामे के नियम स्वीकार करन शामिल होगा।

रीस्ट्रक्चरिंग के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?

आप 15 दिसंबर, 2020 तक आवेदन कर सकते हैं, ताकि रीस्ट्रक्चरिंग का निर्णय और काग़ज़ी कार्रवाई नियामक संस्था द्वारा घोषित 31 दिसंबर, 2020 की अंतिम तिथि तक पूरी की जा सके।